रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 202] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 16, 1973/श्रावण 25, 1895

No. 202] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 16, 1973/SRAVANA 25, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 16th *August* 1973

G.S.R. 395(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order:—

1. (1) This Order may be called the Vegetable Oil Product Producers (Regulation of Refined Oil Manufacture) Order, 1973.

(2) It shall come into force on the 16th August, 1973.

2. In this Order, unless there is anything repugnant in the subject or context:—

(a) the terms "Controller", and "vegetable oil product" shall have the same meaning as in the Vegetable Oil Products Control Order, 1947;

(b) "producer" means a person carrying on the business of manufacturing any vegetable oil product and shall include any person licensed under Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) to manufacture vanaspati or, where such licence may not be required, who is ordinarily engaged in the business of manufacturing vanaspati;

(c) "refined vegetable oil" means any vegetable oil which has been neutralized with alkali, bleached with bleaching earth or activated carbon or

both and deodorized with steam, and shall include any vegetable oil which has been subjected to any or all of these processes.

3. No producer shall manufacture for sale refined vegetable oils during any calendar month in excess of the quantity which shall be determined as follows:—

The ratio of the production of refined vegetable oils during the month by any producer to his production during the same month of vegetable oil product, other than product manufactured for non-edible industrial use, shall not exceed the ratio of his production of refined vegetable oils during the two-year period from 1st January, 1971 to 31st December, 1972 to his production of such vegetable oil product during the said period:

Provided that where any producer was not engaged in the business of manufacturing such vegetable oil product during the entire aforesaid two-year period but was engaged in the business of manufacturing refined vegetable oils during any portion of the said period, his production of refined vegetable oils during any calendar month shall not exceed his average monthly production of such oils during the said period:

Provided further that during the period from 16th August to 31st August 1973, the production of refined vegetable oils by any producer shall not exceed 50 per cent of his average monthly production of such oils during the aforesaid two-year period:

Provided also that the Controller may, if he is satisfied that there are sufficient grounds for so doing, exempt any producer or class of producers from the provisions of this Order.

4. No producer shall manufacture, stock for sale or offer for sale any refined vegetable oil unless—

(i) it has been manufactured solely from any of such vegetable oils as have been permitted to be used in the manufacture of vegetable oil product;

(ii) it conforms to the specifications for the appropriate refined vegetable oil prescribed under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 or under the Solvent-Extracted Oil, Deoiled Meal and Edible Flour (Control) Order, 1967.

[No. 3-VP(13)/73]

S. V. SAMPATH, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1973

सा० का० नि० 395 (अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित आदेश देती है:—

1. (1) इस आदेश का नाम वनस्पति-तेल-उत्पाद उत्पादक (परिष्कृत तेल निर्माण का विनियमन) आदेश, 1973 है ।

(2) यह 16 अगस्त, 1973 को प्रवृत्त होगा ।

2. इस आदेश में, जब तक विषय या संदर्भ से कि कोई बात विरुद्ध न हो,—

(क) "नियंत्रक" और "वनस्पति-तेल-उत्पाद" शब्दों का वही अर्थ होगा जो अर्थ वनस्पति-तेल-उत्पाद नियन्त्रण आदेश, 1947 में है;

(ख) "उत्पादक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी वनस्पति-तेल-उत्पाद के विनिर्माण का कारबार करता है और उसमें उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) के अधीन वनस्पति विनिर्माण के लिए अनुज्ञात कोई व्यक्ति या, जहां ऐसी अनुज्ञप्ति की अपेक्षा न हो, वहां वह, जो सामान्यता वनस्पति के विनिर्माण के कारबार में लगा हो, भी सम्मिलित है;

(ग) "परिष्कृत वनस्पति तेल" से कोई वनस्पति तेल, जो क्षार से निष्प्रभावित, विरंजक मिट्टी से या सक्रियित कार्बन या दोनों से विरंजित और वाष्प से निर्गन्धीकृत किया गया हो, अभिप्रेत है, और उसमें वह वनस्पति तेल सम्मिलित है जो इन प्रक्रमों में से किसी या सभी के अधीन लाए गए है ।

3. कोई उत्पादक किसी कैलेण्डर मास के दौरान विक्रय के लिए परिष्कृत वनस्पति तेल की उस मात्रा से अधिक का विनिर्माण नहीं करेगा जो निम्न प्रकार अवधारित की जाएगी —

किसी उत्पादक द्वारा मास के दौरान परिष्कृत वनस्पति तेल के उत्पादन का जो अनुपात, उसी मास के दौरान अखाद्य औद्योगिक उपयोग के लिए विनिर्मित उत्पाद से भिन्न, वनस्पति तेल उत्पाद से है, वह उस अनुपात से अधिक न होगा जो 1 जनवरी, 1971 से 31 दिसम्बर, 1972 की दो वर्ष की अवधि के दौरान परिष्कृत वनस्पति तेल के उसके उत्पादन का उक्त अवधि के दौरान ऐसे वनस्पति तेल उत्पाद के उत्पादन से है;

परन्तु जहां कोई उत्पादक उपरोक्त दो वर्ष की सारी अवधि के दौरान ऐसे वनस्पति तेल उत्पाद के विनिर्माण के कारबार में नहीं लगा हुआ था, किन्तु उक्त अवधि के किसी अंश के दौरान परिष्कृत वनस्पति तेल के विनिर्माण के कारबार में लगा हुआ था, तो किसी कैलेण्डर मास के दौरान परिष्कृत वनस्पति तेल का उसका उत्पादन उक्त अवधि के दौरान ऐसे तेलों के उसके औसत मासिक उत्पादन से अधिक नहीं होगा:

परन्तु यह और भी कि 16 अगस्त, 1973 से 31 अगस्त, 1973 की अवधि के दौरान किसी उत्पादक द्वारा परिष्कृत वनस्पति तेल का उत्पादन उक्त दो वर्ष की अवधि के दौरान ऐसे तेलों के औसत मासिक उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;

परन्तु यह भी कि नियंत्रक, यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के पर्याप्त आधार है, किसी उत्पादक या उत्पादकों के वर्ग को, इस आदेश के उपबन्धों से छूट दे सकेगा ।

4. कोई उत्पादक तब तक किसी परिष्कृत वनस्पति तेल का निर्माण, विक्रय के लिए स्टाक या विक्रय के लिए प्रस्ताव नहीं करेगा जब तक—

(i) उसे एकमात्र ऐसे वनस्पति तेलों में से किसी से विनिर्मित न किया गया हो जिन्हें वनस्पति तेल उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त होने दिया गया हो; और

(ii) वह खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 या विलायक निष्कर्षित तेल, निर्तेलकृत मैदा और खाद्य आटा (नियंत्रण) आदेश, 1967 के अधीन विहित उपयुक्त परिष्कृत वनस्पति तेल के लिए विनिर्दिष्टताओं के अनुरूप नहीं है।

[सं० 3-वी पी (13)/73]

एम० वी० मम्पथ, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973